

बिहार विधान सभा के लिए ध्यानाकर्षण सूचना

<p>श्रीमती मुन्नी देवी, मा०स०वि०स० / श्रीमती गुड्डी देवी, मा०स०वि०स० / श्री सतीश चन्द्र दूबे, मा०स०वि०स० एवं श्री जवाहर प्रसाद, मा०स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं०-०६ / १२ के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>ध्यानाकर्षण सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>“ भोजपुर जिलान्तर्गत ग्राम दामोदरपुर में दिनांक-29.04.2008 को भीषण अगलगी के दौरान 625 अग्निपीड़ित परिवारों के घर तथा 278 अग्निपीड़ित परिवारों के खलिहार में रखे फसल जल कर नष्ट हो गये थे। सरकार द्वारा 625 अग्निपीड़ित परिवारों को जले हुए घरों का मुआवजा तो दिया गया, परन्तु आजतक 278 अग्निपीड़ित परिवारों को जले फसल का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त 278 अग्निपीड़ित परिवारों को शीघ्र फसल क्षति अनुदान उपलब्ध कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ”</p>	<p>जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक -1735 दि०-8.10.2011) के अनुसार संयुक्त जॉच दल ने प्रतिवेदित किया है कि इतने लम्बी अवधि के पश्चात् खलिहान में जले फसल की क्षति का आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।</p>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-04 / वि०स०ध्या०-79 / 2012 / / आ०प्र० पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक 596 दिनांक-
27.04.2012 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-04 / वि०स०ध्या०-79 / 2012 / / आ०प्र० पटना-15, दिनांक- 19/2/14
प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/2/14
विशेष कार्य पदाधिकारी